न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 87/2022

उनवान

घीसा लाल चौधरी पुत्र रामनारायण चौधरी जाति जाट निवासी कोटड़ी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

बनाम

1. रसाल पत्नि सांवरलाल जाति माली निवासी रामसर तहसील नसीराबाद,
2. सज्जन पुत्र रामनारायण चौधरी जाति जाट निवासी सनोद,
3. अब्दुलहक खां पुत्र गुलफरसूल खां जाति मुसलमान निवासी छातड़ी गगवाना अजमेर, **(तर्क)**
4. राजेन्द्र पुत्र अमरा जाति जाट निवासी जसवन्तपुरा तहसील नसीराबाद,
5. नेकीराम पुत्र गणेशीराम जाति कुम्हार निवासी रामसर तहसील नसीराबाद, **(तर्क)**
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण :– 1,2,4 अनुपस्थित
6 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :–

दिनांक :– 20/6/23

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 7897 रकबा 0.40 व 7895 रकबा 1.05 की आराजी आवेदनकर्ता की खातेदारी है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर सीमाज्ञान करवाने के आदेश दिये गये। परन्तु मौके पर विवाद [illegible] कार्यवाही नही की गयी। आराजी मुतनाजा के पास में अप्रार्थीगण की आराजी है [illegible] प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करने की धमकी देते है तथा [illegible] है। [illegible] आराजी मुतनाजा की सीमा को ले कर विवाद करने में आमादा है। अतः प्रार्थना [illegible] आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 बावजुद तामीली उपस्थित नही होने से विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 व 5 का नाम प्रार्थी के आवेदन पर तर्क किया गया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया की प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। खसरा नम्बर 7897 प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। खसरा नम्बर 7895 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.04.22 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 30.6.22 को पटवारी हल्का ने मौके पर विवाद की संभावना के कारण सीमाज्ञज्ञन नही होने की रिपोर्ट अंकित की है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य खेत की सीमा का विवाद है एवं अप्रार्थीगण उनकी सीमा पर विवाद करने पर आमादा है। पत्थरगढी करने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी पत्थरगढी के समय अपनी आपत्ति पेश कर सकते है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण का खण्डन नही किया है।

अतः ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 7897 रकबा 0.40 व 7895 रकबा 1.05 की आराजी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व पडौसी खातेदार की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested